APPAREL EXPORT PROMOTION COUNCIL

Regd. Office: A-223, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020
CIN: U74899DL1978NPL008877, Telefax: 011- 40501798
Email: aepcokhla@aepcindia.com, Website: www.aepcindia.com

NOTICE

The 37th Annual General Meeting (AGM) of the Council will be held on Friday, 30th September 2016, at 12:00 Noon at Niryat Bhawan (FIEO Office Building), Rao Tula Ram Marg, Opp. Army Hospital Research & Referral, New Delhi-110057, to transact the business as set out in the notice of the AGM dated 17.08.2016. The notice of 37th AGM and instructions for remote e-voting along with attendance slip and Proxy Form and Annual Report for the financial year 2015-2016 has been sent through electronic mode to all members whose email IDs are registered with the Council. Physical copies of the aforesaid documents have also been sent to all members at their registered address through speed post.

Pursuant to Clause 11 of Election Rules for Election of Executive Committee Members & as per decision of Executive Committee meeting held on 17.08.2016, Members may file the nomination for contesting election to the Office of Executive Committee before close of office hours on 16.09.2016 along with deposit of Rs. 1,00,000/- (Rupees one lac only)*, which shall be refunded to such Member, if he/she succeeds in getting elected as a Member to the Executive Committee or get more than 25% of the total valid votes cast by E-Voting.

*(Requirement of deposit of Rs. 1,00,000 shall be subject to outcome of the decision of the Hon'ble Delhi High Court, Ld Division Bench in LPA No. 368 of 2016 in the matter of Affordable Exports V/s Apparel Export Promotion Council & Ors.)

Members contesting the election may kindly refer and download Election Rules framed by the Council for the election of Executive Committee Members, from Council's website i.e., www.aepcindia.com, containing nomination form and other details for elections.

As per the provisions of the paragraph 2.91 & 2.92 of the Hand Book of Procedure [1st April, 2015- 31st March, 2020] and provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (the Rules), the council is pleased to provide e-voting facility to its members enabling them to cast their vote at the 37th AGM by electronic means, for the election of Executive Committee Member(s) of the council. Other businesses i.e. businesses other than the election of Executive Committee Member(s) of the council, as set out in the Notice of AGM, shall be dealt as per provisions of Articles of Association of the Council.

The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from place other than AGM ("remote e-voting") will be provided by the National Securities Depository Limited ("NSDL").

The details pursuant to the provisions of the Act and Rule 20 of the Rules are given hereunder:

a) The ordinary business relating to Election of Executive Committee Member(s) only shall be transacted by electronic means and other businesses i.e. businesses other than the Election of Executive Committee Member(s), as set out in the notice of AGM, shall be dealt as per provisions of Articles of Association of the Council.

b) The remote e-voting shall begin on Tuesday, 27th September, 2016 at 09:00 AM and ends on Thursday, 29th September, 2016 at 05:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on 29th September, 2016.

c) The cut- off date for determining the eligibility to vote by remote e- voting as well as voting at the AGM is Friday, 23rd September, 2016 and members whose name is recorded in the register maintained by the Council as on the Cut- off date only shall be entitled to avail the facility of remote e- voting as well as voting at the AGM.

d) The persons who become member of the Council after dispatch of Notice, as of cut-off date i.e. Friday, 23rd September, 2016, may obtain LOGIN ID AND PASSWORD by sending a request at evoting@nsdl.co.in

e) The Members are requested to read carefully the detailed instructions for e-voting given out at note of the Notice of the 37th AGM before casting their vote.

f) Notice of Annual General Meeting is available on the website of the Council i.e. www.aepcindia.com and at website of the NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.

g) In case of any queries, you may refer the frequently asked questions (FAQS) for members and remote e voting user manual for members available at the download sections of www.evoting.nsdl.com or call NSDL toll free no.- 1800-222-990. You may also send your queries/grievances relating to e-voting to evoting@nsdl.co.in

h) The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The members may participate in the general meeting even after exercising his/her rights to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again for resolution relating to election of Executive Committee Member at the meeting.

Further in terms of Section 91 of the Companies Act 2013, the Register of Members shall remain closed from 24.09.2016 to 30.09.2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Apparel Export Promotion Council
SANJIV MALHOTRA
Dy. Secretary General & Secretary

Date: 01.09.2016
Place: New Delhi

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल

पंजी. कार्यालय ए– 223 ओखला औद्यो. क्षेत्र, फेज – 1, नयी दिल्ली – 110020
सीआईएन : यू 74899 डीएल 1978 एनपीएल 008877, टेलीफेक्स: 011–40501798
ईमेल : aepcokhla@aepcindia.com, वेबसाइट: www.aepcindia.com

नोटिस

वार्षिक आम सभा के लिए दिनॉक 17.08.2016 की सूचना में वर्णित कार्य का निष्पादित करने के लिए कांउसिल की 37वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) का आयोजन शुक्रवार 30 सितम्बर, 2016 को दोपहर 12:00 बजे निर्यात भवन (एफआईईओ कार्यालय भवन), राव तुला मार्ग, आर्मी अस्पताल अनुसंधान एवं रेफरल, नई दिल्ली – 110057 के सामने, में किया जायेगा। जिन सदस्यों के ईमेल आईडी कांउसिल में पंजीकृत थे, उन्हे 37वीं वार्षिक आम सभा की सूचना तथा रिमोट ई– वोटिंग के लिए अनुदेश के साथ उपस्थिति पर्ची व प्रॉक्सी फार्म और वित्तीय वर्ष 2015 – 2016 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा चुकी है। सभी सदस्यों को उपर्युक्त दस्तावेज की भौतिक प्रतियां भी उनके पंजीकृत पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जा चुकी हैं।

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव नियमों के खंड 11 के अनुपालन और 17.08.2016 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार कार्यकारिणी समिति के कार्यालय में चुनाव लड्ने के लिए इच्छुक सदस्य अपने नामांकन 16.09.2016 तक कार्यालय समय के दौरान रूपये 1,00,000/– (केवल एक लाख रूपये)* की राशि के साथ जमा कर सकते हैं जो कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में उनके सफलता पूर्वक निर्वाचित होने पर या ई – वोटिंग द्वारा कुल वैध वोटों का 25 प्रतिशत प्राप्त होने पर वापस कर दी जाएगी।

*(अफोर्डेबल एक्सपोर्ट बनाम अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल और संगठन के मामले में 2016 के एलपीए स. 368 में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली, एलपीए प्रभाग खंडपीठ के निर्णय के परिणाम के अधीन रहते हुए 1,00,000 रूपये जमा करने की आवश्यकता होगी)

चुनाव लड रहे सदस्य, कृपया कांउसिल द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए तैयार किए गए चुनाव नियमों और नामकंन फार्म व चुनाव के लिए अन्य विवरण को कांउसिल की वेबसाइट अर्थात www.aepcindia.com पर देख लें और इसे डाउनलोड कर लें।

हेड बुक ऑफ प्रोसिजर (01 अप्रैल, 2015 – 31 मार्च, 2020) के पैराग्राफ 2.91 एवं 2.92 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के उपबंधों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, जिसे कि कंपनी (प्रबंधन एंव प्रशासन) संशोधित नियमावली, 2015 (नियमावली) द्वारा यथासंशोधित के उपबंधो के अनुसार, कांउसिल कार्यकारी समिति के सदस्य(यो) के चुनाव के लिए 37वीं वार्षिक आम सभा मे अपने सदस्यों को मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए ई– वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है। अन्य कार्य जैसे कार्यकारी समिति के सदस्य(यो) के चुनाव के कार्य अतिरिक्त, जैसे कि वार्षिक आम सभा की सूचना मे दिया गया है। पर कार्यवाही कांउसिल के सगम अनुच्छेदों के उपबंधो के अनुसार होगी।

वार्षिक आम सभा स्थल (रिमोट ई– वोटिंग) को छोड़कर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा दूरदराज क्षेत्रों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने हेतु सदस्यों को सुविधा प्रदान की जाएगी।

अधिनियम के उपबंधो तथा नियमों के नियम 20 के अनुसरण में विवरण निम्नानुसार हैं :–

क) कार्यकारी समिति के सदस्य(यों) के चुनाव से संबधित सामन्य कार्य केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादित किया जायेगा तथा अन्य कार्य जैसे कार्यकारी समिति के सदस्य(यों) के चुनाव के कार्य के अतिरिक्त जैसे कि वार्षिक आम सभा की सूचना मे दिया गया है, पर कार्यवाही कांउसिल के संगम अनुच्छेदों के अनुसार होगी।

ख) रिमोट ई– वोटिंग मंगलवार, 27 सितम्बर, 2016 को प्रातः 09:00 बजे से शुरू होगी तथा गुरूवार, 29 सितम्बर, 2016 को सांय 5:00 बजे बंद होगी। रिमोट ई – वोटिंग की 29 सितम्बर, 2016 को सांय 5:00 बजे के बाद अनुमति नही दी जाएगी।

ग) रिमोट ई – वोटिंग तथा वार्षिक आम सभा मे मतदान करने के लिए पात्रता निर्धारित करने की निर्धारित तिथि शुक्रवार 23 सितम्बर, 2016 को होगी तथा केवल उन्ही सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग करने की सुविधा तथा वार्षिक आम सभा मे मतदान करने का हक होगा, जिनका नाम निर्धारित तिथि को कांउसिल द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज होगा।

घ) ऐसे व्यक्ति जो कि सूचना भेजने के उपरांत निर्धारित तिथि 23 सितम्बर, 2016 को परिषद का सदस्य बने हैं अर्थात evoting@nsdl.co.in अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एव पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

च) सदस्यों से अनुरोध है कि अपना मत डालने से पूर्व 37वीं वार्षिक आम सभा की सूचना में ई – वोटिंग के लिए दिए गए विस्तृत अनुदेश को ध्यान पूर्वक पढें।

छ) कांउसिल की वेबासाईट अर्थात www.aepcindia.com तथा एनएसडीएल की वेबासाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर वार्षिक आम सभा की सूचना उपलब्ध है।

ज) किसी भी प्रश्न के लिए, आप सदस्य के लिए सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूएस) तथा सदस्यों के लिए रिमोट ई – वोटिंग यूजर मैनुअल को वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में देख सकते है या एनएसडीएल की टोल फ्री नंबर 1800.222.990 पर कॉल कर सकते है ई – वोटिंग से संबधित अपने प्रश्न/शिकायत evoting@nsdl.co.in पर भी भेज सकते है।

झ) वार्षिक आम सभा मे इलेक्ट्रॉनिक वोटिग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी तथा जिन सदस्यो ने रिमोट ई– वोटिंग का प्रयोग नही किया गया है, वे वार्षिक आम सभा में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सदस्य, रिमोट से ई – वोटिंग के अपने अधिकार का प्रयोग करने के उपरांत भी सामान्य सभा में भागीदारी कर सकते है। परन्तु उन्हे कार्यकारी समिति के सदस्य के चुनाव में पुनः मतदान करने की अनुमति नही होगी।

आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में, वार्षिक आम सभा के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर दिनांक 24.09.2016 से 30.09.2016 (दोनो दिन विशेष रूप से शामिल) तक बंद रहेगा।

कृते अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल

(संजीव मल्होत्रा)
उप महासचिव एवं सचिव

दिनांक : 01.09.2016
स्थान : नई दिल्ली